



केन्द्रीय विद्यालय संगठन

KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN

18 संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग,

नई दिल्ली 110 016

18, Institutional Area, Shaheed Jeet Singh Marg

New Delhi 110 016

Fax: 26514179 फोन TEL: 26858570

website: www.kvsangathan.nic.in

फा.11029-11/2015-केवीएस(प्रशासन. I)Vol-III

दिनांक :09.03.2019

कार्यालय आदेश


केन्द्रीय विद्यालय संगठन के दिनांक 08.03.2018 के समसंख्यक कार्यालय आदेश के द्वारा नागरिक क्षेत्र के अंतर्गत 50 नए केन्द्रीय विद्यालय स्थापित करने के लिए भारत सरकार का अनुमोदन इस शर्त पर संप्रेषित किया गया था कि संबन्धित प्रायोजक प्राधिकरण द्वारा नए केन्द्रीय विद्यालय खोलने से पहले उस विद्यालय हेतु भूमि की पहचान कर केन्द्रीय विद्यालय संगठन के पक्ष में हस्तांतरित कर दी जाएगी। केन्द्रीय विद्यालय आयर, जिला वाराणसी, उत्तर प्रदेश उपरोक्त स्वीकृत 50 नए केन्द्रीय विद्यालयों में से एक है।

चूंकि जिला प्रशासन ने भूमि का आधिपत्य केन्द्रीय विद्यालय के पक्ष में दे दिया है अतः निम्नलिखित स्थान पर नागरिक क्षेत्र के अंतर्गत नया केन्द्रीय विद्यालय प्रारंभ करने के लिए तत्काल प्रभाव से आयुक्त महोदय की संस्वीकृति की जानकारी दी जाती है :-

| क्रम सं. | केन्द्रीय विद्यालय का नाम | निम्न स्थान पर केन्द्रीय विद्यालय संचालित किया जाएगा |
|----------|--|---|
| 1 | केन्द्रीय विद्यालय आयर वाराणसी, उत्तर प्रदेश | C/o नेहरू युवा कल्याण केंद्र व अमर शहीद इंटर कॉलेज आयर वाराणसी (उत्तर प्रदेश) पिन - 221202 |

उपर्युक्त केन्द्रीय विद्यालय में शिक्षा सत्र 2019-20 के दौरान प्रारम्भ में कक्षा 1 से 5 तक (प्रत्येक कक्षा में एक सेक्शन) संचालित होंगे और इसके पश्चात साध्यता के अनुसार कक्षाओं में वृद्धि होगी।

इस विद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया इस आदेश के जारी होने की तिथि से 30 दिन के अंदर पूरी कर ली जाए।


(डॉ. शची कान्त)

संयुक्त आयुक्त (कार्मिक)

वितरण:

1. माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री एवं अध्यक्ष, के.वि.सं के निजी सचिव।
2. सचिव (स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता) मा.सं.वि.म. एवं डिप्टी चैयरमेन के.वि.सं. के वरिष्ठ पी.पी.एस.।
3. संयुक्त सचिव (प्रा. शिक्षा) मा.सं.वि.म. एवं उपाध्यक्ष, के.वि.सं. के वरिष्ठ पी.पी.एस.।
4. आयुक्त, के.वि.सं के निजी सचिव।
5. अपर आयुक्त (प्रशा./शै.) के.वि.सं के निजी सचिव।

6. संयुक्त आयुक्त(प्रशिक्षण.) केविसं को इस अनुरोध के साथ की वे स्टाफ स्वीकृति आदेश जारी करें।
7. उपायुक्त, केविसं क्षे .का. वाराणसी को इस अनुरोध के साथ कि वे संबन्धित प्राधिकारियों से संपर्क कर केन्द्रीय विद्यालय को संचालित करें। उनसे यह भी अनुरोध है कि यह स्कूल जिस संसदीय क्षेत्र में आता है उसका नाम भी रेकॉर्ड हेतु इस कार्यालय को भेजें।
8. प्रिन्सिपल सेक्रेटरी (शिक्षा), वाराणसी, उत्तर प्रदेश ।
9. जिला कलेक्टर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ ।
10. अधीक्षण अभियंता केविसं ।
11. सचिव सीबीएसई, 2 कम्यूनिटी सेंटर, प्रीत विहार, दिल्ली-92 ।
12. सहायक आयुक्त (स्था. II स्था. II & III) को इस अनुरोध के साथ कि वे नियमानुसार स्टाफ की तैनाती करें ।
13. केविसं (मु.) के सभी अधिकारी एवं अनुभाग।
14. उपायुक्त, के.वि.सं., सभी संभागीय कार्यालय।
15. निदेशक, के.वि.सं .समस्त शिक्षा एवं प्रशिक्षण आंचलिक संस्थान।
16. उपायुक्त ई.डी.पी .को के.वि.सं .की वैबसाइट पर अपलोड करने के लिए।
17. अध्यक्ष/सचिव मान्यता प्राप्त स्टाफ संघ।
18. गार्ड फाइल।
